

**संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किए गये सराहनीय कार्यों का विवरण
1 किलो 400 ग्राम अवैध गॉजा के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार**

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा एक अभियुक्त नाम पता राजबली चौहान पुत्र रामनसीब चौधरी निवासी महुआ भुलैया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर को 01 किलो 400 ग्राम अवैध गॉजे के साथ गिरफ्तार कर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 652/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

गर्भवती गाय की बच्चेदानी खीच लेने के मामले में वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 651/20 धारा 429 भा0द0वि0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम के मामले में वाँछित अभियुक्त नाम पता भगवानदास पुत्र रामभेजू निवासी पट्टी बडगो हिस्सा समोहर थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया।

विदित हो कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 02.11.2020 को वादी श्री दिलीप कुमार पुत्र मन्शा निवासी पट्टी बडगो हिस्सा समोहर थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर की 03 माह की गर्भवती गाय के प्राइवेट पार्ट में हाथ डालकर बच्चेदानी खीच लिया गया था जिसके सम्बन्ध वादी द्वारा दिनांक 03.11.2020 को थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था जिसमें आज दिनांक 08.11.2020 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

18 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त नाम पता इन्द्ररूप निषाद पुत्र रामउजागिर निवासी भेलवासी थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को 18 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना दुधारा पर मु0अ0सं0 336 / 2020 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) में 12 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना धनघटा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना महुली पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

- थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया

|

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1488 द्वारा मारपीट में घायल व्यक्ति को पहुँचाया गया अस्पताल – पीआरवी 1488 को थाना महुली क्षेत्रांतर्गत नीबाहोरिल से इवेन्ट संख्या 06099 से कालर ने जान से मारने के प्रयास के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा 06 मिनट में घटना स्थल पर पहुंचकर घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस से प्रा0 स्व0 केन्द्र नाथनगर भेजवाया गया तथा प्रतिवादी को विधिक कार्यवाही हेतु थाना महुली के सुपुर्द किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर घायल व्यक्ति को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गयी तथा एक बड़ी घटना घटित होने से बचा लिया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ –मु0आरक्षी राणा प्रताप सिंह, हो0चा0 संजीव कुमार।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 279 वाहनो से 240500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 08-11-2020 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 279 वाहनो से 240500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

जनपद - संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 08-11-2020

पुलिस महानिरीक्षक बस्ती, परिक्षेत्र बस्ती महोदय द्वारा थाना बेलहरकला क्षेत्र के अन्तर्गत हुए दुष्कर्म की घटना के घटनास्थल का किया गया स्थलीय निरीक्षण व निर्माणाधीन थाना बेलहरकला के निर्माण का लिया गया जायजा

आज दिनांक 08-11-2020 को पुलिस महानिरीक्षक बस्ती, परिक्षेत्र बस्ती श्री अनिल राय द्वारा जनपद संतकबीरनगर के थाना बेलहरकला क्षेत्र के अन्तर्गत दिनांक 04.11.2020 को ग्राम औरहिया मंजरिया में 07 वर्षीय बालिका के दुष्कर्म व हत्या की घटना का संज्ञान लेते हुए स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों से मुलाकात कर हर संभव मदद करने व दोषी अभियुक्त को दण्डित करने हेतु हरसंभव प्रयास करने हेतु बताया गया तथा शासन द्वारा दुष्कर्म पीड़ित के परिजनों को दी जाने वाली अन्य सहायता प्रदान करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया। इसके उपरान्त पुलिस महानिरीक्षक बस्ती,

परिक्षेत्र बस्ती द्वारा निर्माणाधीन पुलिस थाने का निरीक्षण किया गया व निर्माण ईकाई से जानकारी ली गयी । इस निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक सन्तकबीरनगर श्री ब्रजेश सिंह, क्षेत्राधिकारी मेंहदावल श्री रामप्रकाश, प्रभारी निरीक्षक थाना बेलहरकला श्री प्रदीप सिंह, पीआरओ पुलिस अधीक्षक सन्तकबीरनगर श्री जितेन्द्र यादव व अन्य अधिकारी / कर्मचारीगण उपस्थित रहे ।

जनपद - संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 08-11-2020 पुलिस

अधीक्षक संतकबीरनगर श्री ब्रजेश सिंह के निर्देशन में चलाये जा रहे **'साथ-साथ' कार्यक्रम (टूटते परिवार को जोड़ने की एक पहल)** के आयोजन में आज दिनांक **08.11.2020** को परिवार परामर्श केन्द्र महिला थाना जनपद संतकबीरनगर पर प्रभारी निरीक्षक महिला थाना डा0 शालिनी सिंह एवं नियुक्त सदस्य श्री रिफातुल्लाह अंसारी की अध्यक्षता में कुल **02** मामलें आयें, सभी मामलो में सुलह समझौता करवाया गया ।

1-श्रीमती शशि त्रिपाठी पुत्री श्री रामजी मिश्रा निवासी ग्राम जरवा थाना जरवा जनपद बलरामपुर व द्वितीय पक्ष श्री प्रमोद कुमार त्रिपाठी पुत्र श्री बैकुण्ठनाथ त्रिपाठी निवासी ग्राम बंजरिया पश्चिम थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर । दोनो पक्ष में **सुलह समझौता** कराया गया ।

2-श्रीमती नीमा गुप्ता पत्नी श्री प्रदीप निवासी नगवा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर व द्वितीय पक्ष श्री प्रदीप निवासी ग्राम नगवा थाना कोतवाली खलीलाबाद । दोनो पक्ष में **सुलह समझौता** कराया गया ।